भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2337

सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

प्रवासी मजदूरों का कौशल मानचित्रण

2337. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्रीमती शांभवीः
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल मानचित्रण कराने वाले या अपने कौशल को पंजीकृत कराने वाले प्रवासी श्रमिकों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकारी या निजी प्लेटफार्मों के माध्यम से कौशल मानचित्रण वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने या नियुक्त करने के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रवासी कौशल डेटा एकत्र करने, सत्यापित करने और उसका उपयोग करने में जिला कौशल समितियों और स्थानीय निकायों की भूमिका का ब्यौरा क्या है और नौकरी-मिलान में सुधार के लिए राज्य कौशल विकास मिशनों और उद्योग समूहों के साथ कौशल मानचित्रण डेटा का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) प्रवासी श्रमिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का, विशेषकर कोविड-19 महामारी के चरम पर पहुंचने के बाद हुए रिवर्स माइग्रेशन के बाद, ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्रवासी कौशल मानचित्रण पहलों की प्रभावशीलता पर कोई प्रभाव मूल्यांकन या तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं, जिनमें प्रवासी कामगार भी शामिल हैं, को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व-शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं पुनर्कौशल प्रदान करना है। विगत वित्तीय वर्षों (2024-25) के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध में दी गई है।

जारी...2/-

वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित योजना के पहले तीन संस्करणों, यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत प्लेसमेंट की गतिविधि पर नजर रखी गई। पीएमकेवीवाई 3.0 तक एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों में प्लेसमेंट दर 43% थी। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारा ध्यान प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर पथ चुनने में सक्षम बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार करने पर है।

जिला कौशल समितियों (डीएससी) को बुनियादी स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करता है, तथा कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करता है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल अंतराल को समाप्त करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों (प्रवासी श्रमिकों) के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत, जिला प्रशासन के सहयोग से, प्रवासी श्रमिकों की पहचान और नौकरी में उनकी भूमिकाओं के साथ उनका मानचित्रण किया गया है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत श्रमिकों (प्रवासी श्रमिकों) के प्रशिक्षण हेतु इस विशेष कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के अंतर्गत चयनित 6 राज्यों, अर्थात् असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक, अर्थात् अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व-शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) हैं। पीएमकेवीवाई के इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत, महामारी लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन से प्राप्त, श्रमिकों (प्रवासी श्रमिकों) की नौकरी संबंधी माँग/आकांक्षाओं के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एमएसडीई ने नौकरी बनाए रखने, आय में वृद्धि और प्रशिक्षण की प्रासंगिकता सहित विभिन्न परिणाम मापदंडों को मापने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कई तृतीय-पक्ष आकलन और मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस द्वारा पीएमकेवीवाई 2.0 की तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि पीएमकेवीवाई 2.0 - अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की औसत मासिक आय, पीएमकेवीवाई में भाग नहीं लेने वाले व्यक्तियों के तुलनात्मक समूह की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थी। इसके अलावा, पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)-प्रमाणित व्यक्तियों की औसत मासिक आय, गैर-आरपीएल प्रमाणित व्यक्तियों के तुलनात्मक समूह की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक पाई गई।

जारी....3/-

(ii) इसके अलावा, नीति आयोग ने अक्टूबर 2020 में रोजगार और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन किया। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों को पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार दिया गया है और आरपीएल घटक के तहत उन्मुख किया गया, उनमें से 52 प्रतिशत को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित सहकर्मियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा पीएमकेवीवाई का एक अन्य-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया। मूल्यांकन के अनुसार, लगभग 70.5% सर्वेक्षण किए गए उम्मीदवारों को उनके इच्छित कौशल क्षेत्र में नियुक्ति मिली।

* *****

अनुबंध

प्रवासी श्रमिकों के कौशल मानचित्रण के संबंध में दिनांक 04.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2337 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

विगत वित्तीय वर्षों (2024-25) के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	35,451
2	अंडमान और निकोबार	909
3	अरुणाचल प्रदेश	10,054
4	असम	75,162
5	बिहार	99,960
6	चंडीगढ़	628
7	छत्तीसगढ़	16,461
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,407
9	दिल्ली	12,253
10	गोवा	236
11	गुजरात	39,736
12	हरियाणा	75,305
13	हिमाचल प्रदेश	19,275
14	जम्मू एवं कश्मीर	85,490
15	झारखंड	30,021
16	कर्नाटक	69,431
17	केरल	10,456
18	लद्दाख	312
19	लक्षद्वीप	120
20	मध्य प्रदेश	2,58,623
21	महाराष्ट्र	74,939
22	मणिपुर	20,798
23	मेघालय	7,908
24	मिजोरम	6,861
25	नागालैंड	7,299
26	ओडिशा	26,185
27	पुदुचेरी	3,096
28	पंजाब	1,06,401
29	राजस्थान	2,79,609
30	सिक्किम	2,874
31	तमिलनाडु	85,713
32	तेलंगाना	22,188
33	त्रिपुरा	14,256
34	उत्तर प्रदेश	4,63,569
35	उत्तराखंड	35,290
36	पश्चिम बंगाल	36,410
	कुल	20,34,686

*****